राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 2025/2023

सुर्य प्रकाश तंवर —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोन–ा, जयपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, झुन्झुनूं।
5. अधिशाषी अभियन्ता, खेतड़ी संभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खेतड़ी, झुन्झुनूं।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.08.2023
आदेश की दिनांक : 08.08.2023

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर यादव, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 1996 में हुई। अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर उपखण्ड खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 24.07.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध सह योग्यता सूची के आधार पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किया गया, जिसमें ऐसे अभ्यर्थियों को शामिल किया गया, जिनकी वरिष्ठता अपीलार्थी की तुलना में कम थी, उन्हें पदोन्नत कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 29.03.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा वरिष्ठता सूची जारी कर अपीलार्थी का नाम 117 पर अंकित किया गया। अपीलार्थी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद हेतु पूर्णतः पात्र था। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष आईपीआर भी प्रस्तुत किया, उसमें अपने बच्चे के संबंध में जानकरी प्रस्तुत की। अधिशाषी अभियन्ता खेतड़ी ने उन कर्मचारियों के बच्चों का

विवरण भेजा, जो उनके कार्यालय में कार्यरत थे (अनुलग्नक–3 एव 4)। अपीलार्थी ने दिनांक 27.07.2023 (अनुलग्नक–6) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पदोन्नति आदेश दिनांक 24.07.2023 में अपीलार्थी का नाम नहीं आने पर अनुभाग प्रथम में सम्पर्क करने पर अवगत कराया कि आपकी संतानों की सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण पदोन्नति नहीं की गई। इसके संबंध में अपीलार्थी ने संतानों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में भरकर प्रत्यर्थी संख्या–5 को प्रस्तुत की गई, जो उनके कार्यालय के पत्रांक दिनांक 02.06.2023 द्वारा इसकी प्रति प्रत्यर्थी संख्या–3 एवं 4 को प्रेषित की गई। प्रत्यर्थी संख्या–3 द्वारा 03 मंत्रालयिक कर्मचारियों के सन्तानों की सूचना कार्यालय में भिजवाई गई थी। इन 03 मंत्रालयिक कर्मचारियों का के सन्तानों की सूचना में विजय सिंह का नाम पदोन्नति आदेश दिनांक 24.07.2023 में क्रम संख्या 33 पर अंकित किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी के सन्तानों की सूचना कार्यालय में आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई, ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी का नाम पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व पदोन्नति आदेश में सही क्रं. सं. पर जुड़वाया जावे। अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता जरिये दिनांक 28.07.2023 (अनुलग्नक–7) को प्रत्यर्थी विभाग को लीगल नोटिस प्रस्तुत किया, जिस पर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन (अनुलग्नक–6 एवं 7) जो विचाराधीन/लम्बित है। उनको प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विभाग में प्रस्तुत अभ्यावेदनों (अनुलग्नक–6 एवं 7) का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट

रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य